

राष्ट्रपति की शक्तियाँ # President's powers

आपातकाल
Emergency

- भाग part - 18
- अनु. अंश - [352-360]
- प्रेरित Inspired - जर्मनी

→ राष्ट्रीय आपातकाल National Emergency अंत 352 में

→ आधार - 3

- पुद्द। war
- बाह्य आक्रमण
External aggression
- आन्तरिक अशान्ति
Internal turmoil

* घोषणा - राष्ट्रपति
Declaration द्वारा

→ 44वां संविधान संशोधन
अधिनियम - 1978
44th CA 1978 के

Note - आन्तरिक अशान्ति शब्द द्वारा सशस्त्र विद्रोह
Armed Rebellion का प्रयोग किया गया।

राष्ट्रीय आपातकाल के लिए
For the National Emergency

→ राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल Cabinet की लिखित
सूचना पर [written advice]

मूल संविधान में नहीं था

Not in original Constitution

[44th CA 1978 के द्वारा अंत 352
में संशोधन Amendment किया और
मंत्रिमण्डल Cabinet शब्द जोड़ा addition]

घोषणा की विधि Date of declaration -

↳ को संसद दोनों सदनों द्वारा 30 दिन / 1 माह के अन्दर विशेष बहुमत (Special Majority) पास

* लोकसभा एवं विधान सभा का कार्यकाल क्रमशः 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है।

Tenure of LS and Legislative Assembly can be Extended For 1-1 Year.

Note (i) इस समय अनु 358 के तहत अनु 19 स्वतः समाप्त हो जाता है।

(ii) अनु 359 में राष्ट्रपति द्वारा अनु 20 और 21 को हटकर बाकी मूल अधिकार Fundamental Right समाप्त किये जा सकते हैं।

अवतल राष्ट्रीय आपातकाल - 3 बार

National Emergency.

↳ राष्ट्रपति - ए.स. राधाकृष्ण

① 1962 - चीन के साथ युद्ध war with china

② 1971 पाक के साथ युद्ध war with Pak. - राष्ट्रपति

③ 1975 आन्तरिक अशान्ति के आधार पर On the Base of Internal turmoil.

वी.वी. गिरि

↳ राष्ट्रपति

↳ फरवरुद्दीन अली अहमद

राष्ट्रपति शासन - President's Rule

Art 356

- कारण
Reason - राज संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है (The state will not act in accordance to the Cons. - Art 355)
- सिफारिश
Recommendation — राज्यपाल (Governor)
- संसद द्वारा अनुमोदन Approved by Parliament
↳ 2 माह में within 2 month.
- 6-6 माह करके बढ़ाया जा सकता
↳ अधिकतम max - 3 years.